

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

राँची,

दिनांक :- 21-6-13

अधि.सं.-02/स्था.(स्था.पद.)-03-05/2013-3324/ श्री अजीत कुमार सिंह, सहायक अभियंता (असैनिक), आई.डी.-जे 5199, जन्म तिथि-08.10.56, गृह जिला-सहरसा, को विभागीय अधिसूचना संख्या-2449 दिनांक 30.04.13 के द्वारा कनीय अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए सहायक अभियंता, जलपथ अवर प्रमंडल सं.-03, गढ़वा शिविर नगर उटारी (जलपथ प्रमंडल, गढ़वा) के पद पर पदस्थापित किया गया था। श्री सिंह, सहायक अभियंता से प्राप्त अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरांत उन्हें प्राक्कलन पदाधिकारी, लघु सिंचाई प्रमंडल, धनबाद के रिक्त पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

3324

राँची, दिनांक :-

21-6-13

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात इसकी 10 (दस) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

3324

राँची, दिनांक :-

21-6-13

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची/ माननीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल(निगरानी) विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ संबंधित मुख्य अभियंता/ संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित सहायक अभियंता/ संबंधित सभी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/ श्री ओंकार नाथ, वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रशाखा पदाधिकारी- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/ब, 7/यो., एवं 08ए, 08बी एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र.)